

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्रांक 2013/एमआरटी/29/परतापुर/14  
सेवा में, 13

अधिकारी मेरठ  
दिनांक जनवरी 31, 2014

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।

विषय:- मैसर्स वाव इन्फ्रा टैक प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री अनिल गुप्ता व श्री विशाल जिन्दल द्वारा खसरा नं0-1775 साबुन गोदाम बागपत रोड मेरठ पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रेषित मानचित्र की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1707/13/मा.अनु./जोन सी/2013 दिनांक 27.12.2013 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के अनुसार प्रश्नगत भवन के मानचित्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ द्वारा कराया गया । आख्या दिनांक 31.1.2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

**भवन की संरचना:-**

कुल भूखण्ड एरिया-2412.98 वर्गमीटर ।

1. भूतल कवर्ड एरिया-26.21 वर्ग मीटर (स्टिल्ट तल के रूप में) ।
2. प्रथम तल कवर्ड एरिया - 659.46 वर्ग मीटर ।
3. द्वितीय तल कवर्ड एरिया - 659.46 वर्ग मीटर ।
4. तृतीय तल कवर्ड एरिया - 659.46 वर्ग मीटर ।
5. चतुर्थ तल कवर्ड एरिया - 659.46 वर्ग मीटर ।
6. पंचम तल कवर्ड एरिया - 659.46 वर्ग मीटर ।
7. षष्ठम तल कवर्ड एरिया - 659.46 वर्ग मीटर ।
8. सप्तम तल कवर्ड एरिया - 236.34 वर्ग मीटर ।
9. प्रस्तावित भवन की उंचाई: - 23.5 मीटर ।

**भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:-**प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2005 के ग्रुप ए रेजिडेन्सियल बिल्डिंग के सब डिविजन ए-4 श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है ।

**ढांचागत व्यवस्था:-**

1. पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 12 मीटर रोड की चौड़ाई है ।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर है जो मानक के अनुरूप है ।
3. सैटबैक:-प्रस्तावित भवन का सैट बैक निम्नवत् है:-  
ए-अग्रभाग - 09 मीटर ।  
बी-पृष्ठ भाग - 08 मीटर ।  
सी-पार्श्व भाग एक - 08 मीटर ।  
डी-पार्श्व भाग द्वितीय - 08 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक विनियमावली के अनुसार है । सैट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे । सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा  
निकास मार्गः—प्रस्तावित भवन के स्टिल्ट तल से टैरेस तल तक 02 स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई कमशः 1.5—1.5 मीटर जिसमें एक स्टेयरकेस फायर स्केप के रूप में तथा दो लिफ्ट का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अर्न्तगत है ।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-एन0बी0सी0-2005के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाये पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं :-

1. होजरील :-प्रस्तावित भवन में होजरील, लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार ।
2. डाउनकमर:-प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरूप ।
3. हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:-मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार ।
4. टैरिस टैंक-प्रस्तावित भवन के टैरिस पर 25000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक ।
5. टैरिस पम्प:-प्रस्तावित भवन के टैरिस टैंक के पास टैरेस पम्प क्षमता 900 एलपीएम ।
6. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:-प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार ।
7. एकजट साईनेज-सम्पूर्ण भवन में एकजट साईनेज का प्राविधान किया जाय ।
8. पी0ए0सिस्टम-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधान किया जाय ।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स वाव इन्फ्रा टैक प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री अनिल गुप्ता व श्री विशाल जिन्दल द्वारा खसरा नं0-1775 साबुन गोदाम बागपत रोड मेरठ पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा एन0बी0सी0-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतःही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नकः मानचित्र

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मेरठ

प्रतिलिपि: मैसर्स वाव इन्फ्रा टैक प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री अनिल गुप्ता व श्री विशाल जिन्दल निवासी -31 दशमेश्वरनगर मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ ।

2. अग्निशमन अधिकारी परतापुर को निरीक्षण आख्या दिनांक 31.1.2014 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।